



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 715]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2025 — भाद्र 21, शक 1947

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-7/2025/12.— खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 की उप-धारा (1क) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—(1) ये नियम, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियम, 2025 कहलायेंगे।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा एवं ये सभी गौण खनिजों पर लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67);

(ख) “अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष;

(ग) “अध्यक्ष, शासी निकाय” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के शासी निकाय का अध्यक्ष;

(घ) “विभाग” से अभिप्रेत है भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) “कार्यकारी समिति” से अभिप्रेत है न्यास की कार्यकारी समिति;

(च) “निधि” से अभिप्रेत है नियम 7 में निर्दिष्ट निधि;

(छ) “शासी निकाय” से अभिप्रेत है, न्यास का शासी निकाय;

(ज) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(झ) “कार्यकारी समिति का सदस्य” से अभिप्रेत है न्यास की कार्यकारी समिति के सदस्य;

- (ज) "सदस्य, शासी निकाय" से अभिप्रेत है, न्यास के शासी निकाय का सदस्य;
- (ट) "स्पष्ट भूवैज्ञानिक संभाव्य क्षेत्र" से अभिप्रेत है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा समय-समय पर पहचाने गए खनिज संभाव्य क्षेत्र; तथा
- (ठ) "न्यास" से अभिप्रेत है नियम 3 में निर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास।
- (2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए कमशः समनुदेशित किये गये हैं।

3. न्यास की स्थापना.—यह राज्य स्तर पर एक न्यास होगा, जिसे "छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास" के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्देश्य खनिज संसाधनों की खोज, व्यवस्थित विकास, और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है।

4. शासी निकाय.—(1) न्यास का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात् :-

01.	मंत्री, खनिज संसाधन विभाग	अध्यक्ष
02.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खनिज संसाधन विभाग	सदस्य
03.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
04.	संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़	सदस्य-सचिव
05.	अपर संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़	सदस्य

(2) शासी निकाय का अध्यक्ष, खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा। ऐसे आमंत्रित व्यक्ति को बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा, परन्तु वे ऐसे बैठक शुल्क एवं अन्य भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये।

5. कार्यकारिणी समिति के सदस्य.—(1) न्यास की कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात्:-

01.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खनिज संसाधन विभाग	अध्यक्ष
02.	प्रतिनिधि, वित्त विभाग,	सदस्य
03.	संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़	सदस्य-सचिव
04.	अपर संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़	सदस्य
05.	क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, छत्तीसगढ़ या उनके द्वारा नामिती	सदस्य
06.	प्रबंध संचालक, सीएमडीसी, छत्तीसगढ़	सदस्य
07.	समस्त संयुक्त संचालक/क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़	सदस्य
08.	उप महानिदेशक, जीएसआई, छत्तीसगढ़	सदस्य

(2) कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले किसी भी व्यक्ति को बैठक में आमंत्रित कर सकेगा। ऐसे आमंत्रित व्यक्ति को बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा, परन्तु वे ऐसे बैठक शुल्क और अन्य भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

6. शासी निकाय और कार्यकारिणी समिति के कार्य.—(1) शासी निकाय, न्यास के कामकाज के लिए व्यापक नीति ढांचा निर्धारित करेगा और इसके कामकाज की समीक्षा करेगा।

(2) शासी निकाय, कार्यकारिणी समिति की सिफारिशों पर न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को अनुमोदित करेगा।

(3) कार्यकारिणी समिति, न्यास का प्रबंधन, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी तथा न्यास निधि के व्यय की निगरानी और समीक्षा भी करेगी।

(4) कार्यकारिणी समिति, अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, नीतिगत ढांचे और शासी निकाय के निर्देशों का पालन करेगी। परियोजना प्रस्तावों के तकनीकी के साथ ही लागत मापदंडों का मूल्यांकन करेगी।

7. न्यास के अधीन निधि का गठन.—(1) राज्य शासन, आदेश द्वारा, न्यास के अधीन एक निधि स्थापित करेगी, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास निधि कहा जाएगा, जिसका प्रबंधन न्यास की कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा।

(2) न्यास निधि, नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान की जाने वाली राशि प्राप्त करेगी और कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित स्रोतों से अंशदान/सहायता भी प्राप्त कर सकती है।

(3) निधि का उपयोग, नियम 10 में यथा विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और कार्यों के लिए किया जाएगा।

8. न्यास फंड में अंशदान.—(1) न्यास को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का सं. 2) की द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट किसी भी अनुसूचित बैंक में अपने नाम से पीडी खाता खोलने तथा संचालित करने की शक्ति होगी।

(2) न्यास अपने पीडी खाता का विवरण, प्राप्तियों एवं भुगतानों की सूचना, प्राप्तियों भुगतानों के प्रयोजनों हेतु संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन को देगा।

(3) गौण खनिजों के खनन पट्टाधारक, उत्खनन अनुज्ञप्तिधारी और परमिटधारक, उन्हें आवंटित/अनुमति प्राप्त क्षेत्र से निकाले गए और/या उसमें उपभोग किए गए किसी

खनिज के संबंध में न्यास निधि में अंशदान का भुगतान करेंगे, जो छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 की अनुसूची-तीन की शर्तों के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि होगी।

(4) उप-नियम (3) के अधीन न्यास निधि के लिए भुगतान, ई-भुगतान के माध्यम से एक पृथक उप-शीर्ष के अधीन रॉयल्टी के साथ अग्रिम रूप से संग्रहित किया जाएगा तथा न्यास के खाते में जमा किया जाएगा और यदि रॉयल्टी के निर्धारण के समय कोई अंतर उपार्जित होता है, तो उसे तुरन्त न्यास के खाते में जमा किया जाएगा।

(5) संबंधित उप संचालक (ख.प्रशा.)/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी, उप-नियम (3) एवं (4) के अंतर्गत राशि के संग्रहण के लिए उत्तरदायी होंगे। संबंधित उप संचालक (ख.प्रशा.)/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी, लेखा-बही का रखरखाव करेंगे तथा उसे न्यास खाते में जमा करेंगे।

(6) संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, न्यास के पी.डी. एकाउन्ट में अंतरित की गई राशि का अद्यतन रिकार्ड रखेंगे तथा इस प्रकार एकत्रित रॉयल्टी का डाटाबेस भी रखेंगे तथा मासिक आधार पर न्यास को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

9. कार्यालय एवं बैंक खाता.—(1) न्यास का कार्यालय, रायपुर में या ऐसे अन्य स्थान पर स्थित होगा, जैसा कि कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित किया जाए।

(2) न्यास का बैंक खाता संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा विभाग के वित्तीय सलाहकार या कार्यकारी समिति द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से खोला एवं संचालित किया जाएगा।

10. न्यास के उद्देश्य और कार्य.—

न्यास के उद्देश्य और कार्य निम्नानुसार होंगे:—

(एक) राज्य में खनिज संसाधनों के नियोजित विकास और उनके अन्वेषण के लिए अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि की विजन और मिशन योजनाएं तैयार करना;

(दो) अन्वेषण का मास्टर प्लान तैयार करना तथा संसाधनों का भौमिकीय और विस्तृत अन्वेषण और आंकलन करना;

(तीन) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980(1980 का सं. 69) के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् वन क्षेत्र में अन्वेषण;

(चार) स्पष्ट भूवैज्ञानिक संभावित क्षेत्रों के भू-भौतिकीय, जमीनी और हवाई सर्वेक्षण तथा भू-रासायनिक सर्वेक्षण को सुगम बनाना;

(पाँच) खनिज विकास, सतत खनन, उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी पद्धतियों को अपनाने और खनिज निष्कर्षण धातु विज्ञान का अध्ययन एवं क्रियान्वयन करना;

(छः) अन्वेषण गतिविधियों में लगे विभागीय अमलों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता उन्नयन कार्यक्रम आयोजित करना;

(सात) अयस्कों के खनिज विश्लेषण और परीक्षण, चट्टानों की संबद्ध अशुद्धियों की पहचान और विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के खनिज उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों, प्रयोगशालाओं आदि द्वारा प्रस्तुत खनिज नमूनों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करना, ताकि अयस्कों, खनिजों की गुणवत्ता का आंकलन रासायनिक, भौतिक परीक्षण और यंत्रीकृत विश्लेषण द्वारा बिना लाभ-हानि के आधार पर किया जा सके;

(आठ) विभागीय प्रयोगशाला को सुदृढ़ एवं उन्नत करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने तथा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कार्यवाही करना, नेशनल एक्रिडिशन बोर्ड फार टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (एनएबीएल) से प्रत्यायन प्राप्त करने के पश्चात् खनिज आधारित उत्पादों के निर्यातकों को परीक्षण एवं विश्लेषण के आधार पर प्रमाण-पत्र प्रदान करना;

(नौ) न्यास के कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक अधिकारियों, भूगर्भशास्त्रियों या वैज्ञानिकों, तकनीकी व्यक्तियों, वित्तीय परामर्शदाताओं, प्रबंधन परामर्शदाताओं और अन्य कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर नियुक्त करना;

(दस) राज्य के लिए राज्य खनिज निर्देशिका, राज्य खनिज एटलस/भू-सूचना विज्ञान खनिज संसाधन सूचना प्रणाली विकसित करना तथा भूगर्भीय और अन्य भू-वैज्ञानिक आंकड़ों को सार्वजनिक डोमेन के लिए डिजिटल प्रारूप में प्रस्तुत करना;

(ग्यारह) शासन को नवाचार शुरू करने और नई प्रौद्योगिकी अपनाने में सुविधा प्रदान करना तथा तकनीकी/परामर्श सेवाएं प्रदान करना;

(बारह) आवश्यकताओं का आंकलन करना, योग्य व्यक्तियों और कौशल विकास के लिए पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, कौशल विकास के लिए संस्थाओं की पहचान करना;

(तेरह) निम्न श्रेणी के खनिजों पर खनिज बेनिफिसियेशन और मूल्य संवर्धन अध्ययन करना;

(चौदह) अन्वेषण परियोजनाओं के लिए मूलभूत सहायता प्रदान करना अर्थात् जी.पी. एस., अस्थायी निवास, टेंट, मशीनरी, वाहन इत्यादि;

(पंद्रह) खनिज आधारित उद्योगों के निवेशकों को सुविधा प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित करना;

(सोलह) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो राज्य में खनिज संसाधनों के विकास और दोहन के लिए शासी निकाय द्वारा तय किये जायें; और

(सत्रह) राज्य में ड्रोन सर्वेक्षण इत्यादि जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से खनन और संबंधित गतिविधियों की निगरानी करना ।

11. न्यास का प्रबंधन.—(1) न्यास का समग्र नियंत्रण, आवधिक समीक्षा और नीति निर्देशन, शासी निकाय के पास निहित होगा।

(2) कार्यकारिणी समिति, न्यास की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी।

(3) कार्यकारिणी समिति, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए योजना तैयार करेगी और उसे अंतिम रूप देगी।

12. समितियाँ.—(1) कार्यकारिणी समिति, न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या ऐसे अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए समितियों या उप-समितियों का गठन कर सकेगी, जो कार्यकारिणी समिति द्वारा उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार गठित समिति या उप-समिति, इन नियमों के अधीन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी तथा ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगी, जैसा कि कार्यकारिणी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

13. कार्यकारिणी समिति द्वारा चिन्हित परियोजनाओं का क्रियान्वयन.—(1) कार्यकारिणी समिति, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप पहचानी गई परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यकारिणी समिति, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेगी।

14. अन्वेषण परियोजनाओं की निगरानी.—(1) न्यास स्वयं अथवा किसी संस्था को सम्मिलित करके परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, न्यास अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार कर सकेगा।

15. शासी निकाय की बैठकें.—(1) शासी निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(2) शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता, शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(3) शासी निकाय के सभी निर्णय या संकल्प सर्वसम्मति से लिए जाएंगे या अपनाए जाएंगे।

(4) किसी असहमति या असंतोष की स्थिति में, शासी निकाय के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(5) शासी निकाय की बैठकें, भौतिक या आभासी या परिसंचरण या प्रसार द्वारा या दोनों के संयोजन द्वारा हो सकती हैं—

परन्तु, परिभ्रमण द्वारा बैठक, न्यास के लेखाओं को अपनाने, वार्षिक योजना, वार्षिक बजट और ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए लागू नहीं होगी।

16. कार्यकारिणी समिति की बैठकें.—(1) कार्यकारिणी समिति की बैठक, प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी।

(2) कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(3) कार्यकारिणी समिति की बैठकें भौतिक या आभासी या परिभ्रमण द्वारा या दोनों के संयोजन द्वारा हो सकती हैं:

परन्तु, परिभ्रमण द्वारा बैठक, न्यास के खातों को अपनाने, वार्षिक योजना, वार्षिक बजट और न्यास की वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए शासी निकाय की सिफारिशों पर लागू नहीं होगी।

17. शासी निकाय और कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए सूचना और एजेंडा—(1) शासी निकाय का अध्यक्ष या सदस्य सचिव, शासी निकाय के अध्यक्ष की सहमति, से सभी सदस्यों को कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस देकर शासी निकाय की बैठक बुलाएगा:

परन्तु, शासी निकाय का अध्यक्ष, कम समय की सूचना पर भी बैठक बुलाने के लिए अधिकृत हो सकेगा।

(2) कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष या सदस्य सचिव, अध्यक्ष की सहमति से सभी सदस्यों को कम से कम सात दिन का नोटिस देकर कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाएगा:

परन्तु, कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कम समय की सूचना पर भी बैठक बुलाने के लिए अधिकृत हो सकेगा।

(3) किसी बैठक हेतु सूचना में पूर्ववर्ती बैठक के प्रारूप कार्यवाही विवरण तथा पूर्ववर्ती बैठक के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का एजेंडा सम्मिलित हो सकता है।

18. बैठक के लिए गणपूर्ति.—(1) शासी निकाय की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति चार होगी।

(2) कार्यकारिणी समिति की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी।

19. कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव की शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व.—

(1) कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव,—

(एक) कार्यकारिणी समिति के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अध्वधीन रहते हुए, न्यास का प्रशासन और प्रबंधन करना; और

(दो) ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना, जैसा कि कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रत्यायोजित की जाएं या कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा सौंपी जाएं।

(2) कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव के उप-नियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात्:—

(एक) वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट तैयार करना तथा उन्हें कार्यकारिणी समिति के विचारणार्थ तथा शासी निकाय को अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करना;

(दो) यह सुनिश्चित करना कि न्यास द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावों या परियोजनाओं पर विचार करने से पूर्व कार्यकारिणी समिति के कार्य, प्रक्रिया, नियमों या निर्देशों के अनुसार उचित सावधानी बरती गई है;

(तीन) यह सुनिश्चित करना, कि न्यास की गतिविधियाँ, वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट के अनुसार संचालित की जा रही हैं; तथा

(चार) शासन के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की जनवरी के अंत तक शासी निकाय को प्रस्तुत करना।

20. वार्षिक योजना.—(1) कार्यकारिणी समिति का सदस्य—सचिव, न्यास की अल्पकालिक परियोजनाओं के लिए वार्षिक योजना तैयार करेगा, जिसमें गतिविधियों और लागतों का विवरण होगा।

(2) वार्षिक योजना में न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित सभी परियोजनाएं, कार्यक्रम, गतिविधियाँ शामिल होंगी।

21. वार्षिक बजट.—कार्यकारिणी समिति के सदस्य—सचिव, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व, वार्षिक बजट की तैयारी शुरू करेंगे। इस बजट में वार्षिक योजना में शामिल गतिविधियों के लिए प्रस्तावित आय और व्ययों का विवरण होगा, जिसमें विधिक, प्रशासनिक और अन्य लागतें, साथ ही वित्तीय आवश्यकताएं शामिल होंगी। प्रस्तावित बजट को कार्यकारिणी समिति और उसके पश्चात् शासी निकाय के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

22. वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन.—(1) वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को इसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय के समक्ष समुचित समय पूर्व रखा जाएगा।

(2) कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव, शासी निकाय के सदस्य सचिव से विधिवत् अनुमोदित वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट की प्रतियां प्राप्त होने पर, उन्हें शासी निकाय के अनुमोदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर शासन को प्रस्तुत करेगा।

(3) उप-नियम (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यास ऐसे क्रियाकलापों के लिए अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा विशिष्ट अनुमोदन किये जाने के अध्याधीन रहते हुए, व्यय कर सकेगा, जो वार्षिक योजना में अनुमोदित नहीं हैं, उसे आगामी वार्षिक बजट में शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा।

(4) वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट को किसी भी समय अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए संशोधित किया जा सकेगा, जिसे आगामी वर्ष की योजना या बजट में शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा।

23. वार्षिक रिपोर्ट.—(1) कार्यकारिणी समिति का सदस्य-सचिव, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर, एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें ऐसी जानकारी अंतर्विष्ट होगी, जैसा कि कार्यकारिणी समिति द्वारा उपयुक्त समझा जाए।

(2) वार्षिक रिपोर्ट, कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी और इसमें अंतर्विष्ट अन्य विवरणों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष के दौरान न्यास द्वारा पूर्ण की गई गतिविधियों और ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान न्यास द्वारा किए गए व्यय का विवरण शामिल होगा।

(3) वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, शासी निकाय के अनुमोदन के पश्चात्, कार्यकारिणी समिति द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर शासन को भेजी जाएगी।

24. निधियों का उपयोग.—निधियां निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त की जायेंगी:—

(एक) खनिज अन्वेषण और लघु खनन क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास।

(दो) क्षमता उन्नयन कार्यक्रम आयोजित करना।

(तीन) खनिज विकास, सतत् खनन का अध्ययन और पक्ष पोषण करना।

(चार) उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी पद्धतियों और खनिज निष्कर्षण धातु विज्ञान को आत्मसात् करना।

(पाँच) खनिज विश्लेषण और अयस्कों के परीक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करना।

(छः) मानव संसाधन और बुनियादी ढाँचे के संबंध में, विभागीय प्रयोगशाला को सुदृढ़ और उन्नत करना।

(सात) राज्य खनिज निर्देशिका, राज्य खनिज एटलस/भू-सूचना खनिज संसाधन सूचना प्रणाली विकसित करना।

(आठ) संसाधन सूचना प्रणाली।

(नौ) अन्वेषण परियोजनाओं के लिए मूलभूत सहायता प्रदान करना, जैसे अस्थायी निवास, टेंट, मशीनरी और वाहन इत्यादि।

(दस) खनिज आधारित उद्योगों के निवेशकों को सुविधा प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना करना।

25. वित्तीय वर्ष.—(1) न्यास का लेखा या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

(2) न्यास के संचालन का प्रथम वर्ष, आंशिक वर्ष हो सकता है।

26. लेखाओं का रखरखाव और लेखा परीक्षा.—(1) न्यास के लेखे उस प्ररूप, ढंग और रीति से रखे जाएंगे, जैसा कि कार्यकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(2) न्यास निधि के लेखों की लेखा परीक्षा, ऐसी रीति से की जाएगी, जैसा कि कार्यकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के पश्चात्, न्यास, शासी निकाय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 12th September 2025

NOTIFICATION

No. F 7-7/2025/12.— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1A) of Section 15 of The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

RULES

- 1. Short title, extent and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh State Mineral Exploration Trust Rules, 2025.
(2) They shall extend to whole of the State of Chhattisgarh and shall apply to all minor minerals.
(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957);
 - (b) "Chairperson, Executive Committee" means the Chairperson of the Executive Committee of the Chhattisgarh State Mineral Exploration Trust;
 - (c) "Chairperson, Governing Body" means the Chairperson of the Governing Body of the Chhattisgarh State Mineral Exploration Trust;
 - (d) "Department" means Department of Geology and Mining, Government of Chhattisgarh;
 - (e) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Trust;
 - (f) "Fund" means the fund referred to in rule 7;

- (g) "Governing Body" means the Governing Body of the Trust;
- (h) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
- (i) "Member, Executive Committee" means the member of the Executive Committee of the Trust;
- (j) "Member, Governing Body" means the member of the Governing Body of the Trust;
- (k) "Obvious geological potential areas" means the minerals potential areas identified by the Geological Survey of India, from time to time; and
- (l) "Trust" means the Chhattisgarh State Mineral Exploration Trust referred in rule 3.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Establishment of Trust.- There shall be a Trust at the state level to be known as the "Chhattisgarh State Mineral Exploration Trust". The objective is to promote the systematic development, exploration of mineral resources and infrastructure development.

4. Governing Body.- (1) The Governing Body of the Trust shall consist of the following, namely:-

01.	Minister of Mineral Resources Department	Chairperson
02.	ACS/Pr. Secretary/ Secretary, Mineral Resources Department	Member
03.	ACS/Pr. Secretary/ Secretary, Finance	Member
04.	Director, Directorate of Geology and Mining, Chhattisgarh	Member-Secretary
05.	Additional Director, Directorate of Geology and Mining, Chhattisgarh	Member

(2) The Chairperson of the Governing Body may invite any person having special knowledge in the field of Mineral Exploration. Such

invitee shall have no voting right in the meeting but they shall be entitled to receive such sitting fee and other allowances as may be decided by the Government, from time to time.

5. Member of Executive Committee.- (1) The Executive Committee of the Trust shall consist of the following, namely:-

01.	ACS/Pr. Secretary/ Secretary, Mineral Resources Department	Chairperson
02.	Representative of Finance Department	Member
03.	Director, Directorate of Geology and Mining, Chhattisgarh	Member-Secretary
04.	Additional Director, Directorate of Geology and Mining, Chhattisgarh	Member
05.	Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines CG or his nominee	Member
06.	MD, CMD, C.G.	Member
07.	All Joint Directors/Regional Heads from Directorate of Geology and Mining, Chhattisgarh	Member
08.	Deputy Director General, GSI, Chhattisgarh	Member

(2) The Chairperson of the Executive Committee may invite any person having special knowledge in the field of Mineral Exploration. Such invitee shall have no voting right in the meeting but they shall be entitled to receive such sitting fee and other allowances as may be decided by the Government, from time to time.

6. Functions of the Governing Body and Executive Committee.-(1) The Governing Body shall lay down the broad policy framework for the functioning of the Trust and review its working.

(2) The Governing Body shall approve the annual plan and annual budget of the Trust on the recommendations of the Executive Committee.

- (3) The Executive Committee shall manage, administer and supervise the Trust, also monitor and review the expenditure of the Trust fund.
- (4) The Executive Committee shall, while discharging its functions, follow the policy framework and the directions of the Governing Body. Evaluate the Technical as well as cost parameters of the project proposals.

7. Constitution of a fund under the Trust.- (1) The State Government shall, by order, setup a fund under the Trust to be called as the Chhattisgarh State Mineral Exploration Trust Fund to be managed by the Executive Committee of the Trust.

- (2) The Trust Fund shall receive amount to be paid in accordance with the provisions of rule 8 and may also receive contribution/aid/s from sources as may be approved by the Executive Committee.
- (3) The Fund shall be utilized for the objectives and functions as specified in rule 10.

8. Contribution to Trust Fund.- (1) The Trust shall have power to open and operate PD Account in its own name at any Scheduled Bank as specified in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934).

- (2) The Trust shall communicate the particulars of its PD account to the Director, Geology and Mining, Government of Chhattisgarh for the purposes of receipts and payments.
- (3) The mining lease holders, quarry licensee and permit holders of minor minerals shall pay the contribution to the Trust fund in respect of any mineral removed by him from and/or consumed within the area allotted/permitted to him, a sum equivalent to two percent of the royalty paid in terms of the Schedule III of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules 2015.
- (4) The payment towards trust fund under sub-rule (3) shall be collected in advance along with royalty under a separate sub-head through e-payment and deposited in the account of trust and if any difference is accrued at the time of assessment of royalty, the same shall be deposited in the account of trust immediately.

(5) The Dy. Director (M. Ad.)/Mining Officer/Assistant Mining Officer concerned shall be responsible for collection of amount under sub-rule (3) and (4). The Dy. Director (M. Ad.)/Mining Officer/Assistant Mining Officer concerned shall maintain books of accounts and its deposit in the Trust account.

(6) The Director, Geology and Mining shall maintain an updated record of the amount transferred to the PD account of the Trust along with a database of royalty so collected and provide such information to the Trust on a monthly basis.

9. Office and Bank Account.- (1) The office of the Trust shall be situated at Raipur or at such other place as may be determined by the Executive Committee.

(2) The Bank Account of Trust shall be opened and operated through the Director, Geology and Mining and Financial Advisor of the department or any other officer authorised by the Executive Committee.

10. Objectives and Functions of the Trust.-

Objectives and Functions of the Trust shall be as under:-

- (i) to prepare vision and mission plans of short term, mid-term and long term for the planned development of mineral resources and their exploration in the State;
- (ii) to prepare master plan of exploration and to undertake regional and detailed exploration and assaying of resource;
- (iii) exploration in forest area after obtaining permission under the Forest (Conservation) Act, 1980 (No. 69 of 1980);
- (iv) to facilitate geophysical, ground and aerial survey and geo chemical survey of the obvious geological potential areas;
- (v) to undertake study and advocacy of mineral development, sustainable mining, adoption of advanced scientific and technological practices and mineral extraction metallurgy;
- (vi) to organize capacity building programs for raising technical capability of department personnel engaged in Exploration activities;

- (vii) to undertake research and development in the field of mineral analysis and testing of ores, identification of associated impurities of rocks and mineral samples submitted by the Department, public sector undertakings, private sector mineral industries, research institutions, laboratories etc. so as to assess quality of ores, minerals by chemical, physical testing and instrumental analysis on no profit no loss basis;
- (viii) to initiate action to strengthen and upgrade the Department laboratory and provide impetus to research and development and to provide certificate on the basis of testing and analysis to exporters of mineral based products after obtaining accreditation from National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL);
- (ix) to appoint officers, geologist or scientists, technical persons, financial consultants, management consultants and other employees as are necessary for carrying out the functions of the Trust on deputation/contractual basis;
- (x) to develop State Mineral Directory, State Mineral Atlas/Geo-Informatics Mineral Resource Information System for the State and putting up geological and other geo scientific data in digital formats for public domain;
- (xi) to facilitate the Government to introduce innovation and adoption of new technology and to provide technical/consultancy services;
- (xii) to assess the needs, designing of courses for generating qualified persons and skill development, identification of institutions for skill development;
- (xiii) to undertake mineral beneficiation and value addition studies on low grade minerals;
- (xiv) to provide logistic support for exploration projects i.e. GPS, temporary hutments, tents, machineries, vehicles etc.;
- (xv) to establish business development centre for facilitating and promoting investors of mineral based industries; and

(xvi) Such other purposes that the Governing Body may decide for the development and exploitation of mineral resources in the State.

(xvii) to monitor mining and related activities through modern technologies such as drone survey etc. in the State.

11. Management of the Trust.- (1) The overall control, periodical reviews and policy direction of the Trust shall vest with the Governing Body.

(2) The Executive Committee shall manage, administer and supervise the day to day activities of the Trust.

(3) The Executive Committee shall formulate and finalize the scheme for delegation of financial powers.

12. Committees.- (1) The Executive Committee may constitute committees or sub-committees to fulfill the objectives of the Trust or such other tasks that may be assigned or delegated to it by the Executive Committee.

(2) The committee or sub-committee so constituted under sub-rule (1) shall discharge the duties and responsibilities under these rules and in exercise of such powers and functions as may be specified by the Executive Committee.

13. Implementation of identified projects by the Executive Committee.- (1) The Executive Committee shall implement the identified projects consistent with the objectives of the Trust as approved by the Governing Body.

(2) In implementation of the projects referred to in sub-rule (1), the Executive Committee shall devise its own procedure consistent with the Act and rules made there under.

14. Monitoring of exploration projects.- (1) The Trust shall monitor the implementation of the projects either by itself or by engaging any entity.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the Trust may devise its own procedure consistent with the Act and rules made there under.

15. Meetings of the Governing Body.- (1) The Governing Body shall meet at least once in a year.

- (2) The meetings of the Governing Body shall be presided by the Chairperson, Governing Body.
- (3) All decisions or resolutions of the Governing Body shall be made or adopted by consensus.
- (4) In case of any disagreement or dissent, the ruling of the Chairperson, Governing Body shall be final.
- (5) The meetings of the Governing Body may be either physical or virtual or by circulation or by combination of both:

Provided that the meeting by circulation shall not apply for adoption of accounts of the Trust, for approval of annual plan, annual budget and annual report of the Trust.

16. Meetings of the Executive Committee.- (1) The Executive

Committee shall meet at least once in every three months.

- (2) The meetings of the Executive Committee shall be presided by the Chairperson, Executive Committee.
- (3) The meetings of the Executive Committee may be either physical or virtual or by circulation or by combination of both:

Provided that the meeting by circulation shall not apply for adoption of accounts of the Trust, recommendation to Governing Body for approval of annual plan, annual budget and annual report of the Trust.

17. Notice and agenda for meeting of Governing Body and Executive

Committee.- (1) The Chairperson or Member Secretary of the Governing Body with consent of the Chairperson, Governing Body shall convene meeting of the Governing Body by giving a minimum fifteen days notice to all members:

Provided that the Chairperson, Governing Body may authorise to convene a meeting with a shorter notice period.

- (2) The Chairperson or Member Secretary of the Executive Committee with consent of the Chairperson shall convene meeting of the Executive Committee by giving a minimum seven days notice to all members:

Provided that Chairperson of the Executive Committee may authorise to convene a meeting with a shorter notice period.

- (3) Notice for any meeting may include an agenda for the meeting, draft minutes of the earlier meeting and action taken report on the minutes of the earlier meeting.

18. Quorum for meeting.- (1) The quorum for any meeting of the Governing Body shall be four.

- (2) The quorum for any meeting of the Executive Committee shall be four.

19. Powers, Duties and Responsibilities of Member Secretary of Executive Committee.-

(1) The Member Secretary of the Executive Committee shall,-

- (i) administer and manage the Trust subject to the superintendence, control and direction of the Executive Committee; and
- (ii) exercise such administrative and financial powers as may be delegated by the Executive Committee or as may be assigned by the Chairperson, Executive Committee.

(2) The Member Secretary of the Executive Committee shall have the following duties and responsibilities, without prejudice to the generality of sub-rule (1), namely:-

- (i) To cause the preparation of the annual plan and related annual budget and submit them to the Executive Committee for consideration and recommendation to the Governing Body;
- (ii) To ensure due diligence has been exercised before considering proposals or projects to be undertaken by the Trust in accordance with the best practices, procedure, rules or directions of the Executive Committee;
- (iii) To ensure that the activities of the Trust are being conducted in accordance with the annual plan and related annual budget; and
- (iv) To submit to the Governing Body the annual approved plan and related annual budget for each financial year to the Government, by the end of January of previous financial year.

- 20. Annual Plan.-** (1) The Member Secretary of the Executive Committee shall, prepare the annual plan for the Trust's short-term projects, detailing activities and costs.
- (2) The annual plan shall include all projects, programs, activities proposed to achieve the Trust's objectives.
- 21. Annual Budget.-** The Member Secretary of the Executive Committee shall, before the start of each financial year, shall initiate the preparation of an annual budget. This budget will detail the proposed income and expenditures for activities covered in the annual plan, including legal, administrative and other costs, as well as the funding requirements. The proposed budget shall be submitted for approval before the Executive Committee and subsequently to the Governing Body.
- 22. Approval of the Annual Plan and the Annual Budget.-** (1) The annual plan and the annual budget shall be laid before the Governing Body for its approval well in advance.
- (2) The Member Secretary of the Executive Committee shall, on receipt of the copies of the duly approved annual plan and the related annual budget from the Member Secretary of the Governing Body, submit the same to the Government within a period of thirty days from the date of receipt of approval of the Governing Body.
- (3) Without prejudice to the provisions of sub-rule (2), the Trust may undertake expenditure for activities that are not approved in the annual plan subject to specific approval by the Chairperson, Governing Body, which shall be laid before the Governing Body in the next annual budget.
- (4) The annual plan and related annual budget may be amended at any time subject to the approval of the Chairperson, Governing Body, which shall be laid before the Governing Body in the next year plan or budget.
- 23. Annual Report.-** (1) The Member Secretary of the Executive Committee shall, within ninety days of the end of each financial year,

submit an annual report containing such information as deemed appropriate by the Executive Committee.

(2) The annual report shall be approved by the Executive Committee and shall contain details, inter alia, of the activities completed by the Trust during the financial year and the expenditure incurred by the Trust during such financial year.

(3) A copy of the annual report shall be sent to the Government within a period of thirty days from the date of its approval by the Executive Committee after approval of the Governing Body.

24. Utilization of funds.- The funds shall be utilised for the following:-

- (i) Development of infrastructure for mineral exploration and Small mining sector growth.
- (ii) Organize capacity building programs.
- (iii) Undertake study and advocacy of mineral development, sustainable mining.
- (iv) Adoption of advanced scientific and technological practices and mineral extraction metallurgy.
- (v) Undertake research and development in the field of mineral analysis and testing of ores.
- (vi) Strengthen and upgrade the Departmental laboratory with respect to human resource and infrastructure.
- (vii) Develop State Mineral Directory, State Mineral Atlas/Geo-Informatics Mineral
- (viii) Resource Information System.
- (ix) Provide logistic support for exploration projects i.e. temporary hutments, tents. Machineries & vehicles etc.
- (x) Establish business development centre for facilitating and promoting investors of mineral based industries.

25. Financial year.- (1) The accounting or financial year of the Trust shall be from the 1st of April to the 31st of March.

(2) The first year of operations of the Trust may be a partial year.

- 26. Maintenance and Audit of Accounts.-** (1) The accounts of the Trust shall be maintained in the form, mode and manner as may be decided by the Executive Committee.
- (2) The accounts of the Trust Fund shall be audited in such manner as may be decided by the Executive Committee.
- (3) After the audit referred to in sub-rule (2), the Trust shall submit the annual report to the Governing Body.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VERMA, Deputy Secretary.